संख्या- 23/2124/38-3-2015-14(चिकित्सा)/2015

प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015

विषय:- **श्री पुष्कर कुमार, सहायक लेखाकार, विकास खण्ड देवा जनपद-बाराबंकी की पुत्री शिवानी वर्मा के कान के उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-2051/स्था-2/2015, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के संदर्भ में श्री पुष्कर कुमार, सहायक लेखाकार, विकास खण्ड देवा जनपद-बाराबंकी की पुत्री शिवानी वर्मा के कान के उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति हेतु समस्त बिल बाउचर मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री पुष्कर कुमार, सहायक लेखाकार, विकास खण्ड देवा जनपद-बाराबंकी की पुत्री शिवानी वर्मा के कान के उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 4,65,000.00 (रूपये चार लाख पैंसठ हजार मात्र) का चिकित्सा अग्रिम श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:

(1) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने के तत्काल पश्चात, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह पश्चात प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(3) अग्रिम का समय से समायोजन सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ऐसे अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए रखा जाएगा, जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(4) यदि अग्रिम के समायोजन के लिये चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नही प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा, जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-49 चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव।

संख्या-23/2124(1)/38-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, बाराबंकी।
3. अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
5. श्री पुष्कर कुमार, सहायक लेखाकार, विकास खण्ड देवा जनपद-बाराबंकी।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।